-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ लूट के मकुदमें में वांछित 02 अभियुक्तगण घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा/04 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट तथा लूटा हुआ बैग, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक एवं 58,000/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धऱपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 20/21.01.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक देवबंद पुलिस टीम के साथ देवबंद-मंगलौर मार्ग पर चंद्रपुर भट्टे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रहे थे। तभी देवबंद से मंगलौर की तरफ जाने वाले मार्ग से एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट पर तीन व्यक्ति सवार आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों को रूकने का ईशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा बाइक को वापस मोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर ग्राम अमरपुर नैन की तरफ जाने वाली चकरोड़ की तरफ भागने का प्रयास करने लगे, पुलिस टीम द्वारा बदमाशो को पीछा गया। तभी कुछ दुरी पर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये एंव एक अन्य बमदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। **घायल बदमाशों की पहचान 1.दानवीर पुत्र सुशील 2.रोहित पुत्र सेठपाल निवासीगण ग्राम नंगली मेहनाज थाना नागल,सहारनपुर** के रुप मे हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना देवबंद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस बीएनएस के वांछित है। दोनो घायल बदमाशों को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, 02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा/04 जिंदा कारतूस एंव कस्बा देवबंद में सुनार की दुकान से लूटा हुआ बैग, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक एवं 58,000/- रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 21/2025 धारा 109(1), 317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 11.01.2025 को शाम के समय इसी मोटरसाईकिल से हमने व हमारे एक अन्य साथी ने मिलकर मौहल्ला जोशीवाडा कस्बा देवबन्द में एक सुनार से बैग छीन लिया था जिसमें एक लाख अडसठ हजार रूपये व दुकान की चाबियां तथा एक टिफिन, एक चम्मच, एक हैंण्ड टावल, एक बैंक की पासबुक व एक आधार कार्ड की फोटो कापी थी। रूपयों को बैग से निकालकर हम तीनों ने आपस में बांट लिया था उसी घटना से हिस्से में आये ये रूपये व ये सामान है जो हमसे बरामद हुआ है तथा बाकी के रूपये व दुकान की चाबियाँ हमारे तीसरे साथी के पास है जो भाग गया है। हमने अचानक पुलिस को सामने देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिये पुलिस पर फायर किये थे।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. दानवीर पुत्र सुशील नि0 नगली महनाज थाना नागल जनपद सहारनपुर।
2. रोहित पुत्र सेठपाल नि0 नगली महनाज थाना नागल जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभि0 दानवीरः-

मु0अ0सं0 14/25 धारा 304(2) /317(2) बीएनएस थाना देवबंद जपनद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभि0 रोहितः-

मु0अ0सं0 14/25 धारा 304(2) /317(2) बीएनएस थाना देवबंद जपनद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 तमन्चे .315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 58000/- रूपये नकद (लूट से सम्बन्धित)
- 01 बैंग ब्राउन कलर जिसमें 01 टिफिन, 01 चम्मच, 01 हैंण्ड टावल, 01 बैंक की पासबुक व 01 आधार कार्ड की फोटो कापी (लूट से सम्बन्धित)
- 01 मो0सा0 हीरो स्पलैण्डर प्लस सिल्वर रंग बिना नम्बर प्लेट चेसिस नम्बर MBLHAW09XKHA 15047

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. एचसी 698 संदीप भाटी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. एचसी 902 गोविन्द कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
6. एचसी 158 जितेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
7. का0 16 पवन कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
8. का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
9. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
10. का0 976 गौरव कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
11. का0 2019 राहुल कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 21.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 142 ग्राम अवैध चरस (अनुमानित कीमत करीब 55 हजार रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु मादक/नशीले पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **इस्तकार उर्फ गुड्डू पुत्र जब्बार निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को गौल्डेन पैलेस मिर्जापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 142 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह चरस बरेली से सस्ते दामों में खरीदकर लाता हूँ और ट्रक चालको व नशा करने वाले लोगो को महंगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है और मै अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक पूर कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इस्तकार उर्फ गुड्डू पुत्र जब्बार निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 142 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 327/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2319 दानवीर सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 21-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गैंग का पर्दाफाश करते हुए 02 जालसाज अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर आधार कार्ड बनाने में प्रयुक्त सामान (01 लैपटाप, फिंगर मशीन, कैमरा अन्य उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 20.01.2025 को ए0डी0एम (ई) महोदय के आदेशानुसार व वादी श्री अमित कुमार ई0 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. तनवीर पुत्र तोहिद निवासी ग्राम नौजली थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।, 2.रजा पुत्र समून निवासी ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर । तथा 02 अन्य व्यक्ति नाम व पता अज्ञात द्वारा बिना किसी अनुमति के फर्जी आधार कार्ड कैंम्प लगाकर, कूट रचित मानसिकता से जनता से अवैध वसूली करना तथा कार्य सरकार में आपराधिक बल प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर बाधा पहुंचाने व धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 19/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/308(2)/132/352/351(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नांगल को आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 20.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नागल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए **02 जालसाज अभियुक्तगण 1. तनवीर पुत्र तोहिद निवासी ग्राम नौजली थाना नांगल जनपद सहारनपुर व 2.रजा पुत्र समून निवासी ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को लाखनौर पुल देहरादून चण्डीगढ हाइवे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर फर्जी आधार कार्ड बनाने में प्रयुक्त उपकरण 01 अदद लैपटॉप, फिंगर मशीन, कैमरा एवं अन्य सामान बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. तनवीर पुत्र तोहिद निवासी ग्राम नौजली थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. रजा पुत्र समून निवासी ग्राम कोलकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

- 01 अदद लैपटाप
- 01 फिंगर मशीन
- 01कैमरा
- अन्य सामान

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
5. का0 2338 सुनील कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 21.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त सलमान पुत्र इस्लाम निवासी चौधरी विहार डिफेंस कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को विश्वास नगर जुल्मगढ की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 115 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै मजदूरी करता हूँ तथा यह नशीला सामान मैने एक अनजान व्यक्ति से सस्ते पैसों में खरीदा था। मेरे आस पास जो लोग नशा करते है उनको थोड़े महंगे दामों पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। जिस आदमी से मैने यह चरस खरीदी थी मै उसका नाम पता नही जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र इस्लाम निवासी चौधरी विहार डिफेंस कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 115 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 174/24 धारा 380, 411, 454 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 252/21 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 427/24 धारा 63 आबकारी अधि0 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 172/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांक - 21.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त इन्तजार पुत्र यासीन नि0 खुर्द जनता रोड थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1030/20 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना जनकपुरी सहारनपुर में थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इन्तजार पुत्र यासीन नि0 खुर्द जनता रोड थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री ब्रहम सिहं थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 731 पोपिन थाना जनकपुरी सहारनपुर

दिनांकः 21.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 119 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त मुख्यतयार पुत्र अब्दुल कदीर निवासी विश्वास नगर थाना मण्डी सहारनपुर** को विश्ववास नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 119 ग्राम अवैध चरस बरामद की गयी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 44/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै बाहर के अज्ञात व्यक्तियों से यह चरस बेचनें के लिये खरीद कर लाता हूँ जिसे यहां पर लाकर चरस पीने वालो को महगें दामो पर बेच देता हूँ। इससे जो मुनाफा होता है,उसे मै अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देता हूँ। आज भी मैं इस चरस को बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में यहा आया था, कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुख्यतयार पुत्र अब्दुल कदीर निवासी विश्वास नगर थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 119 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0 का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 548 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 310 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 1612 अंकित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 21.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 12 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त कुलविन्द्र कुमार पुत्र समय सिह निवासी ग्राम बुडडाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को ग्राम कालू माजरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गयी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 18/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै बाहर के अज्ञात व्यक्तियों से यह स्मैक बेचनें के लिये खरीद कर लाता हूँ जिसे यहां लाकर स्मैक पीने वालो को महगें दामो पर बेच देता हूँ। इससे जो मुनाफा होता है,उसे मै अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देता हूँ। आज भी मैं इसे बेचने के लिये ही यहा आया था, कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलविन्दर पुत्र समय सिह निवासी ग्राम बुडडाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 12 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 323/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- मु0अ0सं0 303/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3- मु0अ0सं0 18/2025 धारा 8/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सजीव यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।